

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....

मुकाम

देवली व अलजाम श्री अशोक कुमार त्यागी आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक

1. गोपाल पुत्र नन्दा जाति रेगर निवासी देवलीगांव तहसील देवली
2. अम्बालाल पुत्र नन्दा जाति रेगर निवासी देवलौगांव तहसील देवली
3. लाडा पुत्री नन्दा जाति रेगर निवासी देवलीगांव तहसील देवली
4. सीमा पुत्री नन्दा जाति रेगर निवासी देवलीगांव तहसील देवली
5. धूली बेवा नन्दा जाति रेगर निवासी देवलीगांव तहसील देवली

-वादीगण-

बहक

1. किशनलाल पुत्र लखमा जाति रेगर निवासी देवलीगांव तहसील देवली
2. मोहन लाल पुत्र लखमा जाति रेगर निवासी देवलीगांव तहसील देवली
3. सोहनलाल पुत्र लखमा जाति रेगर निवासी देवलीगांव तहसील देवली
4. मोहनी पुत्री लखमा जाति रेगर निवासी देवलीगांव तहसील देवली
5. गीता पुत्री लखमा जाति रेगर निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. तहसीलदार देवली जिला टोंक

-प्रतिवादीगण-

वाद विभाजन आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 62 सन् 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री अशोक कुमार त्यागी आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री आलोक कुमार शर्मा अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू इकबालिया जवाब प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

आदेश

वाके ग्राम देवलीगांव पटवार क्षेत्र देवली तह. देवली के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत जमाबंदी सम्वत् 2070-73 पटवार हल्का देवलील भू.अभि.नि. क्षेत्र देवली के खाता संख्या 246 में दर्ज खसरा नम्बर कुल किता 6 कुल रकबा 3. 72 है0 में स्थित आराजी में खसरा संख्या दर्ज राजस्व रिकार्ड है कि आराजी बाबत् दावा अंतिम निर्णय डिक्री पारित किया जाकर दावा विभाजन आराजियात व स्थायी निषेधाज्ञा होने से तहसीलदार देवली की कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। प्रतिवादीगण 1 ता 5 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं या अन्य अन्य किसी माध्यम से वादी के हिस्से की भूमि जो कुर्रैजात रिपोर्ट में दर्शित है, में मजामहत व बाधा उत्पन्न नही करे तथा उक्त वर्णित भूमि या इसके हिस्से को रहन, दान, बेचान नही करे। पाबन्द रहे। कुर्रैजात रिपोर्ट डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

निजी.....मुवलिक.....बाबत्
 खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक
 की अदा करें।
 बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 17 माह 09 सन् 2019 को जारी किया गया।

मुहर

दस्तख्त

ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)